

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर।


प्रार्थीया  
ओमप्रकाश

बनाम

अप्रार्थीगण  
शैतानसिंह बगै.

म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 51 / 2018 **TI**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
07.18	<p>यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री रामनारायण चौधरी ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थी सं. 01 से 02 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि मौजा रोल के खेत ख.नं. 137 रकबा 10.14 बीघा में अपार्थी संख्या 01 से 02 किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें तथा प्रार्थी के खेत की यथा स्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 03 इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.08.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी जायल</p>	
8.18	<p>पत्रावली पुरा उरी व कुलाप उफ। तापिस के इतजाए में पत्रावली दि० 30.11.18 को पेश हो।</p>	<p>नौरिस जसि किसे जेदे।</p>

30 <sup>11</sup>/<sub>18</sub>

पदाधिकारी/पदाधिकार के अधिकारिता

P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त है

पदाधिकारी की मितिग में/प्रमाण  
अपकारा पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
उनके लयम दिनांक. 03.04.19 को  
प्रस्तुत करें।

03.04.19

पदाधिकारी/पदाधिकार के अधिकारिता

P.O. सा. चुनाव कार्य में व्यस्त है

पदाधिकारी की मितिग में/प्रमाण  
अपकारा पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
उनके लयम दिनांक. 15.6.19 को  
प्रस्तुत करें।

(M+M)

04.6.19

वकील प्रार्थी ने उपाध्यक्ष छेडर प्रार्थना-पत्र  
पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र को  
फाइल दाखिल पर लिया जावे जो लिया गया  
वकील प्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी  
प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए  
वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रस्तुत विद्रोह प्रार्थना  
स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना-पत्र को खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार लेकर नम्बर से  
रुम होकर दफ्तर दाखिल हो।

आम पत्र

M

(Signature)

सहायक कलेक्टर  
(वि. नो. 1) जयपुर (नामोच)